

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-187 / 2019

गोबर्धन कुमार धारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक के माध्यम से
2. निदेशक (कार्मिक), मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
3. प्रोजेक्ट ऑफिसर, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता ।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अजय कुमार साह, अधिवक्ता ।

3/16.12.2019 यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-2362/2018 को पुनःस्थापित करने के लिए दायर की गई है, जो दिनांक 29.01.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दी गई थी ।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि टाइप की गई प्रतियां दायर की गई थीं, लेकिन गलती से नई प्रतियां दायर नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि वह दो दिनों के भीतर नई प्रतियां दाखिल करेंगे ।

पार्टियों के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, मैं इस सिविल विविध याचिका की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-2362/2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने का आदेश दिया गया है, वशर्ते कि याचिकाकर्ता द्वारा नई प्रतियां दो दिनों के भीतर रजिस्ट्री में दायर की जानी चाहिए ।

यह सिविल विविध याचिका की तदनुसार, अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया०)